राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 50/2018

निर्णय दिनांक :– 13.3.2024

वादी :–

बाबुलाल पुत्र स्व. पेमारामजी उम्र–वयस्क जाति–सरगरा
निवासी– नाडोल, तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. केसाराम पुत्र स्व. जीवाराम उम्र–वयस्क
2. नेनाराम पुत्र स्व. जीवाराम उम्र–वयस्क
3. पकाराम पुत्र स्व. जीवाराम उम्र–वयस्क
4. रामलाल पुत्र स्व. जीवाराम उम्र–वयस्क
5. लखाराम पुत्र स्व. जीवाराम उम्र–वयस्क
   जातिगण–घांची, निवासीगण– नाडोल, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राज.)
6. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राजस्थान सरकार)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व रेडविथ धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति:–

1. श्री दिव्यप्रकाश त्रिवेदी अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– दिनांक:– 13.3.2024

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि मौजा ग्राम नाडोल चक 2 तहसील देसूरी जिला पाली में विद्यमान है। जिसके पुराने खाता संख्या 133, खसरा नम्बर 1726 मी. एवं नये खाता संख्या 146, खसरा नम्बर 4422 है। उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड पुरानी जमाबंदीया व नई जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल इत्यादि संलग्न प्रस्तुत है।

यह कि उक्त वादग्रस्त आराजी वादी के दादाजी स्व. चमना उर्फ चिमना पुत्र धनाजी की थी, जिनके पश्चात् उक्त आराजी वादी के पिताजी स्व. पेमाजी में निहित हुई मौके पर कब्जा काश्त लगातार वादी के दादाजी के समय से उनका व उनके पश्चात् उनके पिताजी का व अभी वर्तमान में वादी का चला आ रहा है।

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

वादी के दादाजी स्व. चमना उर्फ चिगना के परिवार की वंशावली निम्नानुसार है:-

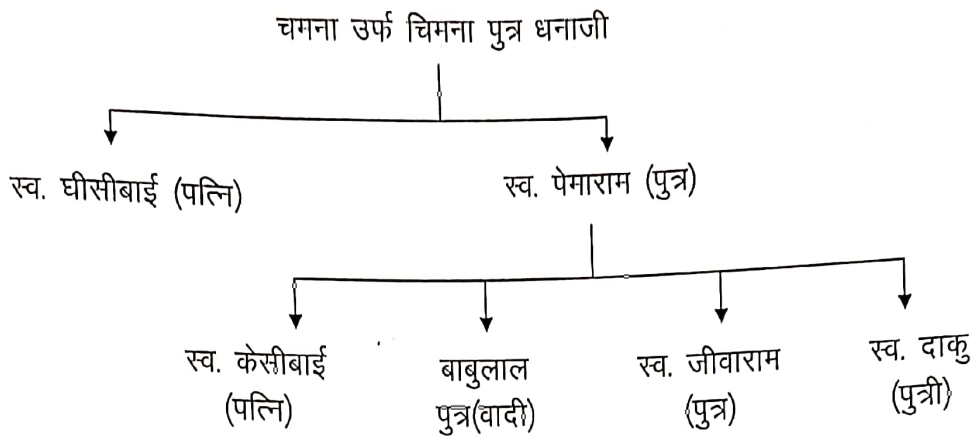

(लाऔलाद फौत)

इस प्रकार वादग्रस्त आराजी का एकमात्र अधिकारी वादी ही है। जिसका मौके पर कब्जा काश्त शांतिपुर्वक तरीके से चला आ रहा है।

यह कि उक्त वादग्रस्त आराजी के पुराने रेकर्ड में वादी के दादाजी के नाम की खातेदारी संवत् 2022 से 2025, 2026 से 2029 की जमाबंदी में दर्ज है तथा उनकी मृत्यु पश्चात् उनके पुत्र व वादी के पिताजी स्व. पेमारामजी का नाम जरिये नामान्तरण दर्ज नहीं होने से रेकर्ड में उनका नाम दर्ज रहा है लेकिन मौके पर कब्जा काश्त उनका था व उनके पश्चात् वादी का चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी के पडौस में प्रतिवादी गण की आराजी खसरा नम्बर 4423 स्थित है जिसके साथ वादग्रस्त आराजी को बाई मिस्टेक प्रतिवादीगण के व उनके पिताजी के खाते में दर्ज कर दिया जो सेटलमेन्ट के दौरान मिस्टेक हुई है। जिसके तहत वर्तमान में प्रतिबादीगण के खाते में वादग्रस्त आराजी दर्ज है लेकिन मौके पर आज भी वादी का कब्जा काश्त है जो उसके पुर्वजों के समय से चला आ रहा है।

यह कि प्रतिवादीण के खाते में उक्त आराजी बाई मिस्टेक से दर्ज हुई है जिनका उक्त आराजी में कोई हक अधिकार निहित नहीं है न ही उक्त आराजी बाबत् कोई रेकर्ड है। पुराना रेकर्ड वादी के दादाजी के नाम से दर्ज है तथा वादी ही उक्त आराजी प्राप्त करने का अधिकारी है। मौके पर वादी की वादग्रस्त आराजी की धोरा पाली माठ अलग से पुराना कायम है व प्रतिवादीगण की आराजी का धोरापाली व माठ अलग से कायम है। यह कि प्रतिवादीगण के पिता स्व. जीवाराम व वादी के भाई स्व. जीवाराम का एक ही नाम होने से बाई मिस्टेक उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण व उसके पिता के खाते में दर्ज कर दी है लेकीन उसका वास्तवित अधिकारी वादी है।

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

यह कि वादी के दादाजी के पश्चात उनके पिताजी स्व. पेमाराम अनपढ व्यक्ति होने से जिनको रेकर्ड की जानकारी नहीं थी न ही रेकर्ड की समझ थी इस कारण रेकर्ड में उनका नाम नामान्तरण के तहत दर्ज नहीं हुआ व उनकी मृत्यु के पश्चात वादी को भी रेकर्ड की समझ नहीं थी न ही रेकर्ड देखने का काम पडा जिससे उक्त मिस्टेक रेकर्ड में आगे से आगे चलती रही। जब वादी उक्त अपनी आराजी पर सरकारी योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु वर्तमान जमाबंदी प्राप्त की जब जानकारी में आया कि उक्त वादग्रस्त आराजी उसके नाम से दर्ज नहीं है तथा न ही उसके पिताजी के नाम दर्ज है तब वादी ने पुराने रेकर्ड की जानकारी प्राप्त की व प्रमाणित प्रतिलिपि ली तब वादी के जानकारी में आया कि वादग्रस्त आराजी उसके दादाजी के नाम दर्ज थी लेकिन उनके पश्चात उक्त आराजी उसके पिताजी के नाम दर्ज न होकर पडौसी के खाते में बाई मिस्टेक दर्ज हो गई है। जिसकी जानकारी वादी द्वारा प्रतिवादीगण को दी लेकिन वादी के उक्त कथन को मानने को तैयार नहीं हुये जिससे कारण वादी का वाद उत्पन्न हुआ । जिस हेतु वादी वादग्रस्त आराजी वादी के नाम घोषित करने एवं तथा प्रतिवादीगण वादी को उसकी आराजी से बेदखल न करें नही वादग्रस्त आराजी किसी अन्य को अन्तरण व हस्तान्तरण करे व नहीं खुर्द–बुर्द करे व वादी को फसल की बुवाई से वंचित न करे इस बाबत वादी की ओर विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा व निषेधाज्ञा का धारा 88,89,188,92ए आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है।

अतः वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम नाडोल चक 2 में स्थित खसरा नम्बर 4422 रकबा 0.4700 हेक्टर की कृषि भूमि का अधिकारी एक मात्र वादी होने से वादी को खसरा नम्बर 4422 रकबा 0.4700 हेक्टर की समर्पूण भूमि का खातेदार घोषित किया जावें एवं राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम अमलदरामद किया जाने कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तामील प्राप्त हुये। बावजूद सूचना के प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण को बार–बार आवाज लगाने के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी ने साक्ष्य वादी हेतु समय चाहा गया जिसे न्यायहित में समय दिया गया।

वकील वादी एवं वादी स्वयं उपस्थित। वकील वादी ने वादी बाबुलाल बतौर साक्ष्य वादी शपथ–पत्र – PW1 पेश किया। जिनके बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली वास्ते शेष शहादत वादी हेतु नियत की गई। वादी ने अपने बयान में बताया कि प्रदर्श 1– वर्तमान जमाबंदी खसरा नम्बर 4422 सम्वत् 2073–2076 की प्रतिलिपि ,प्रदर्श 2 – पुराने खसरा नम्बर 1726 मी. का मिलान क्षेत्रफल , प्रदर्श 3– खसरा गिरदावारी सम्वत् 2021, प्रदर्श 4– खसरा गिरदावरी सम्वत् 2027–28, प्रदर्श 5 – पुरानी जमाबंदी पुराने खसरा नम्बर 1726 मी. सम्वत् 2022–25 , प्रदर्श– 6 पुरानी जमाबंदी सम्वत् 2026–2029, प्रदर्श 7– भू–प्रबंध विभाग खसरा पत्रक , प्रदर्श 8– पुरानी जमाबंदी सम्वत् 2026–29 जो प्रतिवादीगण की है संलग्न प्रस्तुत है जिसे शामिल पत्रावली किये गये।

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादी द्वारा शहादत वादी PW2 भंवरलाल व PW3 भलाराम उपस्थित। शहादत वादी PW2 भंवरलाल व PW3 भलाराम के बयान कलमबद्ध करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली में वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते अतः पत्रावली में साक्ष्य वादी का अवसर बंद किया जाता है पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। वकील वादी द्वारा प्रकरण में बहस हेतु समय चाहा गया जिसे न्यायहित में समय दिया गया।

अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 समस्त के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौजा ग्राम नाडोल चक 2 के पुराने खसरा नम्बर 1726 मी. के वर्तमान नये खसरा नम्बर 4422 जो वादी के दादा के नाम की भूमि थी जिसका एकमात्र अधिकारी वादी स्वयं हे जो बाई मिस्टेक पडौसी खातेदार के नाम दर्ज हो गई है। उक्त आराजी ख.नं. 4422 का एकमात्र वादी को खातेदार घोषित किये जावे एवं राजस्व रेकर्ड में वादी बाबुलाल का नाम अमलदरामद किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक प्रतीत होने से तहसीलदार देसूरी से उक्त आराजी की मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार देसूरी के पत्रांक/भू.अ./2024/350 दिनांक 01.03.2024 द्वारा मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पटवारी हल्का नाडोल मौक रिपोर्ट अनुसार ग्राम नाडोल चक 2 के खसरा नम्बर 4423 रकबा 0.40 हेक्टर व खसरा नम्बर 4422 रकबा 0.47 हेक्टर कुल खसरा 02 मौके पर दोनों खसरे पास–पास विद्यमान है और नाडोल चक 2 व कोटडी सरहद पर स्थित है तथा मौके पर दोनों खसरे खाली पडे हुए है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 4422 भी खाली पडा हुआ है।

बहस पर मनन करने, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व मौका स्थिति की रिपोर्ट के अवलोकन से एवं साक्ष्य वादी बाबुलाल PW1, शहादत वादी PW2 भंवरलाल व PW3 भलाराम के साक्ष्य के परिपेक्ष्य में हम पाते है कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम नाडोल के पुराने खसरा नम्बर 1726 मी. रकबा 0.47 हेक्टर भूमि स्थित है। जिसके नये खसरा नम्बर 4422 बने है जो प्रदर्श 2– मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट प्रमाणित होता है। प्रदर्श–5 – पुरानी जमाबंदी सम्वत् 2022–25 एवं प्रदर्श 6– पुरानी जमाबंदी सम्वत् 2026–2029 में भी उक्त आराजी वादी के दादा चिमना पुत्र धना सरगडा के नाम खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–4 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2027–2028 में भी उक्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 1726 मी. वादी के दादा चिमना पुत्र धना सरगडा का नाम दर्ज है। शहादत वादी PW2 भंवरलाल व PW3 भलाराम के बयान अनुसार भी उक्त वादग्रस्त आराजी खसर नम्बर 4422 वादी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है जिसका एकमात्र अधिकारी वादी स्वयं है मौके पर कब्जा काश्त भी वादी का है परंतु उक्त भूमि त्रृटिवश प्रतिवादीगण पडौसी खातेदारों के नाम गलत रूप से दर्ज हुई है। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों, गवाहों बयान, मौका रिपोर्ट का ध्यानपुर्वक अवलोकन एवं मनन पर यह प्रतीत होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम नाडोल के नये

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

खसरा नम्बर 4422 पुराने खसरा नम्बर 1726 से बने है। जो पुराने खसरा नम्बर की जमाबंदी में वादी के पिताजी चिमना पुत्र धना के नाम से बखातेदार दर्ज है। जिनकी मृत्यु के पश्चात् वादी के पिताजी के नाम दर्ज नहीं हुई और जानकारी के अभाव में वादी के पिता एवं वादी के अपने नाम दर्ज नहीं करवाई। परन्तु उक्त वादी के भाई स्व. जीवाराम एवं प्रतिवादीगण के पिता का नाम जीवाराम दोनों के नाम एक ही होने से नाम की साम्यता के कारण उक्त आराजी पडौस स्थित खातेदार जो कि प्रतिवादीगण के पिता है उनके नाम सेटलमेंन्ट के दौरान त्रुटि से दर्ज हो गई जो की गलत है। उक्त आराजी वादी के दादा चिमना पुत्र धना के नाम की थी जिसका वादपत्र में वर्णित वंशावली अनुसार स्व. चिमना उर्फ चमना पुत्र धना का एकमात्र वारिसान वादी बाबुलाल ही है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 4422 रकबा 0.4700 का एकमात्र अधिकारी वादी है। वादी उक्त वादग्रस्त आराजी 4422 की सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी घोषणा पाने का अधिकारी है। अतः न्यायालय की राय में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित एवम् न्याय संगत है अतएव–

–: आदेश :–

अतः वादी का यह वाद अन्तर्गत धारा– 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादिर की जाती है कि– मौजा ग्राम नाडोल चक 2 में स्थित खसरा नम्बर 4422 रकबा 0.4700 हेक्टर किस्म बारानी दोयम की सम्पूर्ण कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। वादी को उक्त आराजी खसरा नम्बर 4422 रकबा 0.4700 की सम्पूर्ण भूमि का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। वर्तमान जमाबदी संवत् 2073–76 में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम खसरा नम्बर 4422 रकबा 0.4700 हेक्टर की खातेदारी भूमि को विलोपित करने (हटाने) के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण 1 से 5 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी के वादी के खातेदारी की भूमि में वादी के कब्जा काश्त में उपयोग–उपभोग में बाधा, रोक–टोक, अन्य व्यक्ति नहीं करे, हस्तान्तरण एवं अन्तरण दखलन्दाजी नहीं करें न ही किसी से करावें तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार देसूरी को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
देसूरी (पाली)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 13.3.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

वाद में फाईनल डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)
इजलास श्री विवेक व्यास आर ए एस

वादी	ब ना म	प्रतिवादीगण
बाबुलाल पुत्र स्व. पेमारामजी उम्र–वयस्क जाति–सरगरा निवासी– नाडोल, तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)		1. केसाराम पुत्र स्व. जीवाराम उम्र–वयस्क 2. नेनाराम पुत्र स्व. जीवाराम उम्र–वयस्क 3. पकाराम पुत्र स्व. जीवाराम उम्र–वयस्क 4. रामलाल पुत्र स्व. जीवाराम उम्र–वयस्क 5. लखाराम पुत्र स्व. जीवाराम उम्र–वयस्क जातिगण–घांची, निवासीगण– नाडोल, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राज.) 6. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राजस्थान सरकार)

दावा बाबत 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर :– 50 / 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादी श्री दिव्य प्रकाश त्रिवेदी मुदई ..... मिनजाविब मुद्दायलाह प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम नाडोल चक 2 में स्थित खसरा नम्बर 4422 रकबा 0.4700 हेक्टर किस्म बारानी दोयम की सम्पूर्ण कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। वादी को उक्त आराजी खसरा नम्बर 4422 रकबा 0.4700 की सम्पूर्ण भूमि का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। वर्तमान जमाबदी संवत् 2073–76 में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम खसरा नम्बर 4422 रकबा 0.4700 हेक्टर की खातेदारी भूमि को विलोपित करने (हटाने) के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण 1 से 5 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी के वादी के खातेदारी की भूमि में वादी के कब्जा काश्त में उपयोग–उपभोग में बाधा, रोक–टोक, अन्य व्यक्ति नहीं करे, हस्तान्तरण एवं अन्तरण दखलन्दाजी नहीं करें न ही किसी से करावें तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार देसूरी को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

विवेक व्यास

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 03 सन् 2024 को जारी किया गया।

मोहर

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक मिजान		

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner